SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 10.05.2025

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी, चित्तौड़गढ़

वर्ष 2012 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया यह प्रकरण मूलतः चेक की राशि को लेकर उत्पन्न हुए विवाद से संबंधित था, जिसमें दोनों पक्षकारों के मध्य आर्थिक लेन–देन को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए थे। यह विवाद केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि दोनों पक्षकारों के बीच वर्षों से चली आ रही सामाजिक एवं जातिगत वैमनस्यता ने इसे और अधिक जटिल बना दिया था। एक–दूसरे के प्रति विद्वेषपूर्ण व्यवहार और परस्पर अविश्वास ने इस मामूली आर्थिक विवाद को दीर्घकालीन न्यायिक प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया।

प्रारंभ में पक्षकार न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से समाधान की ओर अग्रसर हुए, परंतु आपसी टकराव एवं कटुता के कारण इस विवाद का शीघ्र निस्तारण संभव नहीं हो पाया। वाद की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह अनुभव किया कि यदि दोनों पक्षों के मध्य संवाद स्थापित कराया जाए और उन्हें सुलह की ओर प्रेरित किया जाए, तो दीर्घकालीन संघर्ष का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए रैफर किया गया। लोक अदालत बैंच ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए दोनों पक्षकारों के साथ संवाद स्थापित किया। बैंच द्वारा की गई समझाइश, सहानुभूतिपूर्ण संवाद, तथा विधिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता ने दोनों पक्षों को यह सोचने पर विवश किया कि दीर्घकालीन न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर आपसी समझौते से विवाद का समाधान कहीं अधिक उचित, त्वरित एवं व्यवहारिक है।

अंततः, लोक अदालत की भावना एवं बैंच की पहल के परिणामस्वरूप दोनों पक्ष आपसी राजीनामे हेतु सहमत हुए। लगभग 13 वर्षों से चला आ रहा विवाद, जो कभी सामाजिक एवं व्यक्तिगत कटुता का प्रतीक बन गया था, अंततः सौहार्द्र, समझाइश और राजीनामे से समाप्त हुआ।

यह प्रकरण लोक अदालत की प्रभावशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के माध्यम से ना केवल समय और संसाधनों की बचत हुई, बल्कि दोनों पक्षों के मध्य आपसी शांति एवं सहयोग की भावना को भी पुनः स्थापित किया गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के इस प्रकरण में एक परिवार के तीन सदस्यों की दिनांक 11.09.2023 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतकों के वारिसान/आश्रितगण के द्वारा क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किया गया। प्री–काउंसलिंग के दौरान अप्रार्थी बीमा कंपनी तथा वारिसान/आश्रितगण के मध्य 40,00,000/– रूपये की राशि पर सहमति बनी और लोक अदालत की भावना से राजीनामे के माध्यम से उक्त प्रकरण का निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 10.05.2025

पारिवारिक न्यायालय, झुंझुनूं

पारिवारिक न्यायालय, झुंझुनूं के इस प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थिया के मध्य वर्ष 2005 में विवाह संपन्न हुआ था। साथ रहने के दौरान पक्षकारान् के एक पुत्र का जन्म हुआ। विवाह के लगभग 17 वर्ष पश्चात् 2012 में पति–पत्नी के मध्य आपसी मतभेद हुए जिस कारण दोनों अलग–अलग रहने लग गए। इस पर प्रार्थी ने न्यायालय में दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किया गया। तत्पश्चात् बैंच द्वारा दोनों पक्षकारान के मध्य प्री–काउंसलिंग करवाई गई। प्री–काउंसलिंग के पश्चात् दोनों पक्षकारान लोक अदालत की भावना से राजीनामा हेतु सहमत हुए एवं दोनों आपसी विवाद को समाप्त कर एक साथ रहने को तैयार हुए। इस प्रकार लगभग 03 वर्षों से चले आ रहे विवाद का लोक अदालत की भावना से राजीनामे के माध्यम से दिनांक 10.05.2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया गया।

तालुका विधिक सेवा समिति, कुचामन, मेड़ता

इस प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आम रास्ते को लेकर जमीनी विवाद था। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्री–लिटिगेशन प्रार्थना पत्र तालुका विधिक सेवा समिति, कुचामन के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके रहवासी मकान में प्रवेश करने हेतु आम रास्ता है, जिसको अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर बंद करने की कोशिश की जा रही है। उक्त रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी ब्लॉक लगाए हुए हैं, जिनको भी अप्रार्थीगण द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किया गया। बैंच द्वारा दोनों पक्षकारान के मध्य संयुक्त एवं एकल समझाईश करवायी गयी। समझाईश के फलस्वरूप दोनों पक्षकारान लोक अदालत की भावना से राजीनामा हेतु सहमत हुए। इस प्रकार राजीनामे के माध्यम से दिनांक 10.05.2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जमीनी विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

****

"Help the Needy – Timely Help May Create History"